न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

पीठासीन अधिकारीः– श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आरएएस)

निर्णय

प्रकरण सख्या : 30/2016

बउनवानः–

रामभरोसा पुत्र श्री नारायण जाति मेघवाल निवासी सरकन्या मूण्डला तहसील मांगरोल

...प्रार्थी

♠ बनाम ♠

1. बाबूलाल पुत्र श्री मदनलाल जाति नाथ निवासी सरकन्या मूण्डला तहसील मांगरोल
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट0

वकील प्रार्थी : श्री लिहाज हुसैन अंसारी

दायरा दिनांकः 15.07.2016

निर्णय दिनांक : 17.12.2020

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के शामलाती खाते की आराजी ग्राम मूण्डला की आराजी खाता संख्या 133 खसरा नं0 451 रकबा 0.25 है0, खसरा नं0 507 रकबा 0.17 है0, खसरा नं0 558 रकबा 0.94 है0 कुल किता 3 रकबा 1.36 है0 है। जिसकी पुष्टि जमाबंदी सम्वत 2072–2075 से होती है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का हिस्सा 1/2 व गंगाराम पुत्र चतरा का हिस्सा 1/2 नियत है और प्रार्थी व गंगाराम अपने–अपने हिस्से 1/2 के अनुसार ही काबिज काश्त है। प्रार्थी व गंगाराम के मध्य पूर्व में मौखिक बंटवारा हो चुका है। मौखिक बंटवारे अनुसार ही आराजी पर 1/2–1/2 हिस्से के अनुसार ही काबिज हो काश्त करते चले आ रहे है लेकिन अभी प्रार्थी व गंगाराम के मध्य विधिवत बंटवार नही होने से उक्त [illegible] को लेकर विवाद होता रहता है। प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि में सुधार नही कर पा रहा है इसलिए प्रार्थी शामलाती खाते से बंटवार कराकर शामलाती खाते से बंटवारा कराकर पृथक से दर्ज कराना चाहता है। प्रार्थी पूर्व में हुए विभाजन के अनुसार 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त है। और प्रार्थी के हिस्से में खसरा नं0 451 रकबा 0.25 है0 खसरा नं0 507 रकबा 0.17 है0 आया है। जिस पर प्रार्थी काश्त कर रहा है। लेकिन कुछ दिन पूर्व से अप्रार्थी नं0 1 प्रार्थी के हिस्से के खसरा नं0 451 रकबा 0.25 है0, खसरा नं0 507 रकबा 0.17 है0 पर कब्जा करने की धमकी दे रहा है। और अप्रार्थी नं0 1 कहता है कि यह नम्बर मैने आवंटन कराकर मेंरे खाते लगवा लिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2021.02.03 12:31:02 IST
Reason: SelfAttested

है। अब में इन दोनो नम्बरो पर अपना कब्जा करके ही रहुंगा। प्रार्थी ने कहा की इन दोनो नम्बरों पर हम पिताजी के समय से ही काबिज काश्त है। और हमें काश्त करते हुए 50 साल से भी ज्यादा समय हो गया है। उसके बांवजूद भी अप्रार्थी नं0 1 ने धमकी दी की इस पर कब्जा करके ही रहुगां। अतः प्रार्थी के पक्ष में विरूद्ध अप्रार्थी नं0 1 ताफैसला वाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावें कि वह प्रार्थी के खाते की आराजी खसरा नं0 451 रकबा 0.25 है0, खसरा नं0 507 रकबा 0.17 है0 पर किसी भी प्रकार से कब्जा नही करें। और ना ही अपने प्रतिनिधि से करावें। प्रार्थी को शांतीपूर्वक काश्त करने देवे।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। जिसकी तामिल प्रति शामिल पत्रावली है। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस दिनांक 17.12.2020 को सुनी गयी। वकील वादी द्वारा अपनी बहस में उन्ही तथ्यों का कथन किया गया जिसका उनके प्रार्थना पत्र में अंकन किया गया है।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो का प्रार्थना पत्र के संदर्भ में आद्योपान्त अध्ययन, अवलोकन व मनन किया गया। चूकि प्रार्थी रेकार्डेड खातेदार है तथा अप्रार्थी कम 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित है अतः अप्रार्थी कम 1 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी कम 1 को मूल वाद के निर्णय पारित नही होने तक जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि प्रार्थी की आराजी ग्राम मूण्डला की आराजी खसरा नं0 451 रकबा 0.25 है0, खसरा नं0 507 रकबा 0.17 है0 कुल किता 2 रकबा 0.42 है0 में दलखअंदाजी ना तो स्वयं करे और ना ही अपने प्रतिनिधि से करावें। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.12.2020 को सरेईजलास मजमेंआम में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2021.02.03 12:31:02 IST
Reason: SelfAttested